

**न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11  
कार्यालय, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।**

मामला सं. 395 और वर्ष 2018

मैसर्स गोकुल कृषि मूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा नारायण विहार, गणपतपुरा वाया मांग्यावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

आवेदक

विषय:- राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-के अधीन कृषि मूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने।

आदेश



दिनांक 04/6/18

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार हैं:-

1. ऊपर नामित आवेदक ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-के अधीन निम्नलिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है:-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	ख.सं.	क्षेत्रफल हैक्टर. में	किस्म जमीन	स्वामित्व
तहसील-सांगानेर जिला-जयपुर	महासिंहपुरा उर्फ कपूरवाला	1002	1.54	जाव ए चाही ए	मैसर्स गोकुल कृषि कॉलोनाईजर्स एण्ड डबलपर्स प्रा.लि. पंजी. कार्यालय 36, लक्ष्मी नारायण विहार, गणपतपुरा वाया मांग्यावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
		1003	0.64	चाही ए	
		1004	0.47	चाही ए	
		1005	0.05	गै.मु. चाह	
		1006	0.24	चाही ए	
		1007 / 1	0.012	चाही ए	
		कुल किता 6	कुल रकबा 2.952 हैक्टर.		

- आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमावंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र और शपथपत्र, की-मैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।
- यह कि मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों/कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैंने संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना/स्कीम के अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-के और राजस्थान अभिधृत अधिनियम की धारा 63 और तदीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिधृत अधिकारी निर्वापित करके भूमि का गैर कृषि आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु निवापित किया जायेगा और आवेदक के अभिधृत अधिकारों को उक्त भूमि का गैर कृषि आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु निवापित किया जायेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक/आवेदक द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी पर लागू विधि, नियमों, विनियमों या उप-विधि के अनुसार आवंटन के लिए, स्थानीय प्राधिकारी के व्यवनाधीन रखा गया समझा जायेगा।
- अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि ग्राम महासिंहपुरा उर्फ कपूरवाला तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 1002 रकबा 1.54 हैक्टर, ख.नं. 1003 रकबा 0.64 हैक्टर, ख.नं. 1004 रकबा 0.47 हैक्टर, ख.न. 1005 रकबा 0.05 हैक्टर, ख.नं. 1006 रकबा 0.24 हैक्टर, ख.नं. 1007 / 1 रकबा 0.0120 हैक्टर, कुल किता 6 कुल रकबा 2.952 हैक्टर भूमि पर आवेदक के अभिधृत अधिकारों को उक्त भूमि का गैर कृषि आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु निवापित किया जायेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक/आवेदक द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी पर लागू विधि, नियमों, विनियमों या उप-विधि के अनुसार आवंटन के लिए, स्थानीय प्राधिकारी के व्यवनाधीन रखा गया समझा जायेगा।
- आवेदक द्वारा उसके लिए यह अनुज्ञा दी गयी है, यथाविहित प्रीमियम, नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रभारों के निष्कर्ष और सुसंगत विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्पूर्ण आवंटन किये जाने के पश्चात ही गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जायेगा।
- इन नियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निवंधनों और शर्तों की आवेदक द्वारा पालना की जायेगी।
- यह निर्णय स्थानीय प्राधिकारी (सचिव, जविप्रा, जयपुर) की अनुमति के पश्चात जारी किया जा रहा है।
- यह आदेश अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 04-6-18 को पारित किया गया।

(भारतीय हावा)  
प्राधिकृत अधिकारी, उपायुक्त जोन-11  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

जयपुर

दिनांक 04/6/18

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-11/2018/१०-१९८२

प्रति सूचना एव आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेशित की गयी-

- सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
- तहसीलदार, सांगानेर तहसील को पूर्वोक्त भूमि को जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के नाम नामान्तरण करने और इस आदेश के 7 दिन के भीतर स्थानीय प्राधिकारी और अधोहस्ताक्षरी को उसकी प्रति भेजने के लिए।
- प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र को उनके पंजीयन क्रमांक 332848 दिनांक 10.5.18 के कम में सूचनार्थ प्रेषित है।

(भारतीय हावा)  
प्राधिकृत अधिकारी, उपायुक्त जोन-11  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11  
कार्यालय, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।



मामला सं. 419 और वर्ष 2018

बाबुलाल, मदन लाल, गजानन्द, कानाराम पुत्रान् मोती, नाथी देवी पत्नी मोती एवं ज्यानादेवी पत्नि नाथू जाति बैरवा सा.देह.

आवेदक

विषय:- राजस्थान मू-राजरव अधिनियम, 1956 की घास 90-के अधीन कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुमति प्रदान करने।

आदेश

दिनांक 24/9/18

मामले के राजिकान्तर्गत निम्नलिखित भूमि का आवासीय

1. कृपर नामित आवेदक ने राजस्थान मू-राजरव अधिनियम 1956 की घास 90 के अधीन निम्नलिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुमति देने के लिए आवेदन किया है:-  
(मुख्यमंत्री जन आवास)

जिले राहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	ख.सं.	क्षेत्रफल हेक्टर में	किस्म जमीन	स्वामित्व
तहसील-सामानेर	महारिंहपुरा	955	0.23	बारानी ए	बाबुलाल, मदन लाल,
जिला-जयपुर	उर्फ कपूरावाला	954	0.31	वाढ़ी ए	गजानन्द, कानाराम
		953	0.57 हेक्टर में से रक्कबा 0.49 हेक्टर	जाव ए वाढ़ी ए	पुत्रान् मोती, नाथी देवी
		कुल किटा 3	कुल रक्कबा 1.03 हेक्टर		पत्नी मोती एवं ज्यानादेवी पत्नि नाथू जाति बैरवा सा.देह.

- आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमावदी की प्रति राजरव खसरा अनुमेख, सामयक रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति विधियां और स्थान्यपत्र की मैप, अधिकारीय योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुरक्षात दरतावेज प्रस्तुत किये हैं।
- यह कि नें आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों/कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैंने सर्वाधित तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह साथ है कि आवेदित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए वार्तिक उच्चायोग, मास्टर-योजना/विकास योजना/स्कीम के अनुलूप है और आवेदक के आवेदन को, राजस्थान मू-राजरव अधिनियम, 1956 की घास 90-के और राजस्थान अधिकृत अधिनियम की घास 63 और तटीन बनाये गये नियमों के उपर्योग के अनुसार ऐसी भूमि पर अधिकृत अधिकार निर्वाचित करके भूमि का गैर कृषि आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए स्थीकार किया जा सकता है।
- अतः यह इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि ग्राम महारिंहपुरा उर्फ कपूरावाला तहसील सामानेर के खसरा नम्बर 955 रक्कबा 0.23 हेक्टर, ख.नं. 954 रक्कबा 0.31 हेक्टर, ख.नं. 953 रक्कबा 0.57 हेक्टर, में से रक्कबा 0.49 हेक्टर, कुल किटा 3 रक्कबा 1.03 हेक्टर, भूमि पर आवेदक के अधिकृत अधिकारों को उक्त भूमि का गैर कृषि आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग कुल रक्कबा 1.03 हेक्टर, भूमि पर आवेदक के अधिकृत अधिकारों को उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक/आवेदक द्वारा करने हेतु निर्वाचित किया जायेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक/आवेदक द्वारा करने हेतु निर्वाचित व्यक्तियों को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी पर लागू विधि, नियमों, विनियमों या उप विधि के अनुसार आवंटन के लिए स्थानीय प्राधिकारी के व्यवनायीन रखा गया समझा जायेगा।
- आवेदक द्वारा उस भूमि को, जिसके लिए यह अनुमति दी गयी है, क्षयविहित प्रीमियम, नमरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रभासी क्षितिप और सुरक्षात विधि के अधीन अभिन्यास के तह के अनुमोदन के पश्चात स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सामयक आवंटन किये जाने के पश्चात ही गैर कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जायेगा।
- इन नियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुरक्षात विधि के अनुसार अधिरोपित नियमों और शर्तों की आवेदन द्वारा पालना की जायगी।
- यह नियम स्थानीय प्राधिकारी (साधिव, जविप्रा, जयपुर) की अनुमति के पश्चात जारी किया जा रहा है।
- यह आदेश अवासीलालारी के उस्थानेर और मुठर के जलीन आज दिनांक 24/9/18 को पारित किया गया।

जलीन कला (मंगला भूम्तल) नामित अधिकारी  
प्राधिकृत अधिकारी, उम्मुक्त जोन-11  
जयपुर विकास प्राधिकार अधिकरण

जयपुर

दिनांक 24/9/18

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-11/2018/दी 3298  
प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अधिकृत नाम दी

- साधिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
- तहसीलदार, सामानेर तहसील को फूर्होंका भूमि को जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के नाम नामान्तरण करने और इस आदेश के 7 दिन के भीतर स्थानीय प्राधिकारी और अधिकारीयां को उसकी प्रति मेजने के लिए।

(विरद्धी चन्द्र गंगवाल)  
प्राधिकृत अधिकारी, उपायुक्त जोन-11  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।